



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277274
CG-DL-E-19102026-277274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5437]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948

No. 5437]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5652(अ).— जबकि, मैसर्स जागालूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ("जेएसपीपीएल"), जिसका पंजीकृत कार्यालय 65, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, अशोक नगर, जयपुर - 302001, राजस्थान, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "कर्नाटक के तुमाकुरु में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मैसर्स जागालूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/70/2026- पावर ग्रिड(एमओपी) दिनांक 19.05.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "कर्नाटक के तुमाकुरु में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मैसर्स जागालूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स जागालूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ("जेएसपीपीएल") ने स्थानीय समाचार पत्रों दक्षिण भारत (हिंदी में) दिनांक 14.03.2026, कन्नडा प्रभा (क्षेत्रीय भाषा) दिनांक 14.03.2026, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 14.03.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 13.06.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन

की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स जागलूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (“जेएसपीपीएल”) ने 08.09.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना “कर्नाटक के तुमाकुरु में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मेसर्स जागलूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ

अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- i. मेसर्स जागलूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड गाँव – गंगासागरा, तालुका - पाभागादा, जिला- तुमाकुरु, कर्नाटक में स्थित) - तुमकुर -II पीएस (ISTS सब-स्टेशन) 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावरों पर)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव का नाम	तहसील	जिला
तालामरदाहल्ली, गंगासागरा, कनिकालाबंदे, वीराममानाहल्ली, पलुभल्ली, तिममापुरा, कदामलाकुंते, श्रीरंगापुर, केन्नागनहल्ली, पोन्नसामुद्रा, कडापलाकेरे, अच्चम्मानाहल्ली, बोम्मात्तानाहल्ली, पाभागादा, राप्पम	पाभागादा	तुमाकुरु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स जागलूर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (“जेएसपीपीएल”) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

- vi. मेसर्स जागलूरु सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (“जेएसपीपीएल”) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/90/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

ओमकान्त शुक्ल, निदेशक (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5652(E).— Whereas M/s JAGALURU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED (JSPPL), the applicant having its registered office at 65, Sardar Patel Marg, C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur -302001, Rajasthan, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Jagaluru Solar Power Pvt. Ltd. for its 300 MW Solar Power Project in Tumkur, Karnataka.”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/70/2026-POWER GRID (MoP) dated 19.05.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Jagaluru Solar Power Pvt. Ltd. for its 300 MW Solar Power Project in Tumkur, Karnataka”.

M/s JAGALURU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED had published notice for transmission scheme in local newspapers Dakshin Bharat (in Hindi) dated 14.03.2026, Kannada Prabha (Regional Language) dated 14.03.2026, The New Indian Express (in English) dated 14.03.2026 and in Weekly Gazette of India dated 13.06.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently M/s JAGALURU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED, has submitted an affidavit dated 09.09.2026 declaring that no observation / representation was received within a period of two months from the date of publication of the Public Notice in the Newspaper/Official Gazette of the Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Jagaluru Solar Power Pvt. Ltd. for its 300 MW Solar Power Project in Tumkur, Karnataka”. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Generation Pooling Station of M/s Jagaluru Solar Power Pvt. Ltd. (Generation Switchyard located at Village: Gangasagara, Taluka: Pavagada, District: Tumakuru, Karnataka) – Tumkur-II PS (ISTS S/s) 220kV S/c line on D/c towers.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

Villages	Tehsil	District
Talaradahalli, Gangasagara, Kanikalabande, Virammanahalli, Paluvalli, Timmapura, Kadamalakunte, Srirangapur, Kenchaganahalli, Ponnasamudra, Kadapalakere, Achchammanahalli, Bommattanahalli, Pavagada, Rappam	Pavagada	Tumakuru

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s JAGALURU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED (JSPPL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

M/s JAGALURU SOLAR POWER PRIVATE LIMITED (JSPPL), shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/90/2026-POWER GRID(MoP)]

OM KANT SHUKLA, Director (PG)